

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

“थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भरे पत्र को दूसरे के नाम से प्रेषित करने वाले अभियुक्त जो मु0अ0स0 190/25 धारा 248,319(2),318(4),338,336(3),340(2),351 (3) बीएनएस मे प्रकाश मे आया को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के निकट निर्देशन में अपराधों की रोकथाम एवं घटनाओं के सफल अनावरण के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज व मेनुअल इनपुट व अन्य अभिसूचना संकलन के सहयोग से थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 06.04.2025 को थाना सदर बाजार पर उ0नि0 श्री दिनेश कुमार प्रभारी जन शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय मे रजिस्ट्री संख्या RU228658481IN के माध्यम से एक लिफाफे मे एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमे सम्बन्धित व्यक्ति 1.आविद पुत्र मेंहदी अंसारी 2.नफीस पुत्र नबी हसन अंसारी निवासीगण ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपने रिश्तेदारों मुख्तार अंसारी अतीक अहमद के एनकाउंटर मे मारे जाने का बदला लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिनांक 10.04.2025 तक जान से मारने की धमकी देने और अपने आपको आईएसआई का एजेंट बताते हुये पुलिस प्रशासन को चेलेंज देने सम्बन्धित तथ्य अंकित किये गये थे। चूकिं प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा से सम्बन्धित होने के कारण उक्त प्राप्त पत्र के सम्बन्ध मे जन शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी उ0नि0 श्री दिनेश कुमार के द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 190/25 धारा 352/351(3) बीएनएस विरुद्ध 1.आविद पुत्र मेंहदी अंसारी 2.नफीस पुत्र नबी हसन अंसारी निवासीगण ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 06.04.2025 को पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव के सुपुर्द की गयी। जिनके द्वारा अभियोग की विवेचना सम्पादित करते हुये विवेचना के मध्य मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व स्थानीय स्तर पर की गयी अभिसूचना संकलन व अन्य गोपनीय व स्थानीय जानकारी से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे नामित 1. नफीस पुत्र स्व0 नबी हसन निवासी ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर उम्र लगभग 30 वर्ष 2. आबिद पुत्र स्व0 मेंहदी हसन अंसारी निवासी ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 40 वर्ष के द्वारा कथित अपराध कारित करने के सम्बंध मे कोई भी पुष्टि कारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, बल्कि विवेचना के दौरान एक अन्य व्यक्ति अजीम पुत्र खुशबू अली निवासी ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर का नाम उक्त पत्र अपने ही गांव के नफीस व आबिद से अपनी कुछ निजी रंजिशों व विवादों का बदला लेने के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध मे उनके नाम से प्रेषित किया जाना प्रकाश मे आया। प्रकाश मे आये अभियुक्त अजीम उपरोक्त से की गयी पूछताछ व अन्य जानकारी से यह तथ्य / साक्ष्य उपलब्ध हुये कि अजीम उपरोक्त की भाभी जैनब अंजुम गांव मे प्रधानी का चुनाव अपने रिश्तेदार के विरुद्ध लडी थीं, जिसमे नफीस व आबिद उपरोक्त द्वारा अजीम की भाभी के विरुद्ध खड़े प्रधान प्रत्याशी के पक्ष मे मतदान व प्रचार प्रसार किया था, इसके अतिरिक्त अजीम उपरोक्त के विरुद्ध उनके ही गाँव के ही लेखपाल राजेश श्रीवास्तव के रिश्तेदार द्वारा एक धोखाधड़ी व कूटरचना का मुकदमा अजीम के विरुद्ध सीतापुर मे पंजीकृत कराया गया था, जिसमे अजीम जेल गया था। इसी के बचाव पक्ष मे अजीम के द्वारा अपने

गांव के लेखपाल राजेश श्रीवास्तव के विरुद्ध मा0 न्यायालय मे एक मुकदमा 156(3) के तहत डाला गया था , जिसमे नफीस व आबिद उपरोक्त द्वारा राजेश श्रीवास्तव के पक्ष मे अजीम के विरुद्ध बतौर गवाह गवाही दी गयी थी। साथ ही नफीस उपरोक्त की अपने अन्य भाइयों से जमीन को लेकर कुछ मतभेद चल रहे हैं। इस कारण नफीस व उसकी माँ को उसके दूसरे भाइयों ने उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया और उन्हे गांव से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया गया है। अजीम जो कि नफीस के भाई का मित्र भी है , उसके द्वारा अपने कुत्शित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि नफीस पुत्र नबी हसन व आबिद पुत्र मेंहदी अंसारी द्वारा उसके प्रधानी के चुनाव मे उसका साथ न देने तथा उसके विरुद्ध गवाही देने के कारण दोनो से बदला लेने के उद्देश्य से उक्त पत्र अजीम पुत्र खुशबू अली द्वारा छल कपट, बेईमानी व धोखाधडी करके कूटरचित पत्र स्वयं के हस्तलेख मे तैयार करके अभियोग मे नामितगणो का नाम लेकर उनको झूठे मुकदमे मे फसाने व जेल भिजवाने के लिए प्रकाश मे आये अभियुक्त अजीम द्वारा यह कार्य किया । साथ ही अजीम उपरोक्त का यह भी उद्देश्य होना जानकारी मे आया कि इस मामले मे नफीस के जेल चले जाने पर उसकी जमीन पर भी मैं कब्जा कर लूंगा । अतः **उपलब्ध साक्ष्यों व अन्य जानकारी /तथ्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे नामित 1. नफीस पुत्र स्व0 नवी हसन निवासी ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर उम्र लगभग 30 वर्ष 2. आबिद पुत्र स्व0 मेंहदी हसन अंसारी निवासी ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 40 वर्ष की घटना मे किसी भी प्रकार की संलिप्तता नही पाये जाने पर उनका नाम विवेचना से अभियोग से पृथक किया गया तथा धारा 352 बीएनएस का लोप किया गया तथा अभियोग मे साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अजीम उपरोक्त प्रकाश मे आया जिसके द्वारा कारित कृत्य के सम्बन्ध मे मुकदमा उपरोक्त मे धारा 248,319(2),318(4),338,336(3),340(2)बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । घटना की गंभीरता को देखते हुए इलेक्ट्रानिक सर्विलांस ,सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुट व अन्य गोपनीय व स्थानीय जानकारी व अभिसूचना संकलन के माध्यम से सर्विलांस टीम के सहयोग से प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के निर्देशन मे निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव के नेत्रत्व मे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी । प्रभावी पतारसी सुरागरसी व मैनुअल इनपुट व इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के सहयोग से उक्त टीम द्वारा दिनांक 08.04.2025 को प्रकाश मे आये अभियुक्त अजीम पुत्र खुशबू अली निवासी ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर हाल पता मोहल्ला मिश्रीपुर थाने के सामने गोशाला के पीछे थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना रामचन्द्र मिशन के सामने बनी गोशाला के पीछे नये आबादी की तरफ समय करीब 07.25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अजीम के कब्जे से एक अदद मोटरसाईकिल रजि नं0 UP27BQ2164 HONDA SHINE व एक अदद मोबाईल सैमसंग माडल गैलेक्सी A13 व 21000 रुपये नगद बरामद कर अभियोग की घटना का सफल अनावरण किया गया । गिरफ्तारी अभियुक्त अजीम के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।**

गिरफ्तार अभियुक्त :-

अजीम पुत्र खुशबू अली निवासी ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर हाल पता मोहल्ला मिश्रीपुर थाने के सामने गोशाला के पीछे थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

थाना रामचन्द्र मिशन के सामने बनी गोशाला के पीछे नये आबादी की तरफ समय करीब 07.25 बजे दिनांक 08.04.25

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 0388/22 धारा 4/25 थाना अल्लाहगंज जनपद शाहजहाँपुर
2. म0अ0स0 390/23 धारा 34,420,467,468,471,504 भा.द.वि थाना कोतवाली जनपद सीतापुर
3. मु0अ0सं0 118/20 धारा 140,419,420,406,354,120बी,467,468,506,504,471 भा.द.वि थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
4. मु0अ0स0 190/2025 धारा 248,319(2),318(4),338,336(3),340(2),351 (3) बीएनएस थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी:-

- एक अदद मोटरसाईकिल रजि नं0 UP27BQ2164 HONDA SHINE
- एक अदद मोबाईल सैमसंग माडल गैलेक्सी A13 प्राप्त हुआ
- 21000 रुपये नगद

गिरफ्तारी पूछताछ अभियुक्त :-

अजीम पुत्र खुशबू अली निवासी ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 38 वर्ष मोबाईल नं 9454531710 ने पूछने पर बता रहा है कि मैंने नया मकान गौशाला के पीछे थाना आर.सी.मिशन क्षेत्र में बनवाया है। मैं वहाँ अकेले रहता हूँ मेरे घर में मेरी पत्नी राजिया व लडका तैमूर हैं मैं इण्टर तक पढा लिखा हूँ। हम कुल तीन भाई एक बहन हैं। वर्ष 2021 में हमारे गाँव के प्रधानी की सीट महिला सीट थी। हमने अपने बड़े भाई सुऐव उर्फ फौजी की पत्नी जैनब अंजूम को प्रधानी के चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी के पद के रूप में खडा किया था। मेरे विपक्ष में मेरे गाँव के मुसरफ अली जो दो बार प्रधान रह चुके हैं कि पत्नी सायदा बेगम भी चुनाव लड रही थी। उस प्रधानी के चुनाव में हमारे गाँव के नफीस पुत्र स्व0 नवी हसन निवासी ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर व आबिद पुत्र स्व0 मेंहदी हसन अंसारी निवासी ग्राम गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर ने चुनाव में हमारा काफी विरोध किया था तथा दूसरे प्रत्याशियों का समर्थन किया था, मुझे उन दोनों से इसी बात की निजी रजिष थी। इसके अतिरिक्त इन दोनों के द्वारा हमारे गाँव के रहने वाले राजेश श्रीवास्तव लेखपाल के रिश्तेदार ने सीतापुर कोतवाली में मेरे खिलाफ एक मुकदमा धोखाधड़ी का लिखवाया था, जिसमें मुझे जेल जाना पड़ा था, इसी के बचाव पक्ष में मैंने भी राजेश श्रीवास्तव व उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मामला अदालत में प्रस्तुत किया था जिसमें आबिद व नफीस ने उस प्रकरण में मेरे विरुद्ध पुलिस को गवाही दी थी तथा राजेश श्रीवास्तव के पक्ष में गवाही दी थी, इसी कारण मैं नफीस व आबिद से बदला लेने की फिराक में था। क्योंकि मुझे इन दोनों से व्यक्तिगत वैमनसता हो गयी थी तभी से मैं इन दोनों किसी बड़े मामले में फसाने की फिराक में था। बाद में मुझे यह भी बात पता चल गयी थी कि हफीज जो नफीस का सगा भाई है से उसका जमीन का विवाद चल रहा है। हफीज ने चुनाव में मेरा सहयोग किया था तो उससे मेरा लगाव उसके हो गया था, इसलिये मैंने यह भी सोचा कि नफीस व उसका दूसरा साथी आबिद इस मामले में जेल चले जायेंगे और नफीस की जमीन पर उसका भाई हफीज काबिज हो जायेगी और मैं किसी तरह उसकी जमीन हड़प लूंगा। इसी उद्देश्य से मैंने विपक्षी आबिद व नफीस को फसाने की पूरी योजना तैयार करके मैंने उक्त पत्र अपने हस्तलेख में इन दोनों के विरुद्ध इनको फसाने की नियत से दिनांक 25.3.2025 को अपने घर जलालाबाद से शाहजहाँपुर आकर व केरुगंज पोस्ट आफिस में जाकर मैंने उनके नाम से एक पत्र पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के पते पर रजिस्टरी कर दिया जिसमें मैंने उक्त पत्र में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को 10 अप्रैल तक जान से मारने की धमकी देने सम्बन्धी बात अंकित की थी। मुझे लगा था कि मैं इसमें आबिद व नफीस की नाम लिखूंगा तो पुलिस उनको उठाकर ले जाएगी और जेल भेज देगी इसलिए मैंने धोखाधड़ी करके, कूटरचि पत्र उन दोनों के नाम से लिखकर उसे रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर को प्रेषित कर दिया। तथा रजिस्ट्री करने के बाद जो रजिस्ट्री की स्लिप मुझे मिली थी जिसे मैंने वही फाडकर नाली में फेंक दिया था। मैंने यह नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी गहराई से छानबीन कर मुझ तक पहुंच जायेगी। साहब मुझसे गलती हो गयी क्षमा कर दो।

अभियुक्त/वारण्टी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द सिंह चौहान थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर
2. निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 रिकू सिंह थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 सूरज सिंह थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर
5. का0 2592 विपिन नागर थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर
6. का0 2641 आकाश कुमार थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर